

सं० सं० 14/एम 11-2/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 1.7.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शहनाज बानो पति-श्री कालो ग्राम-समनपुरा पोस्ट-वी०भी०कालेज थाना-शास्त्रीनगर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 90,000/- (नब्बे हजार) स्वीकृत।
2	गणेश प्रसाद मेहता पिता-श्री देव नारायण मेहता ग्राम-दहगामा पोस्ट-डुमरी थाना-करजाई जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 90,000/- (नब्बे हजार) स्वीकृत।
3	राम शेखर सिंह पिता-स्व. धनुषधारी सिंह ग्राम+पो०-सीहमा थाना-मटिहानी जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	मास्टर विकास यादव पिता-विपिन यादव ग्राम-सैदपुर पोस्ट-मल्लीकपुर थाना-सीलाव जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) स्वीकृत।
5	देवता देवी पति-स्व. सत्य नारायण पोद्दार ग्राम+पो०-मदारपुर थाना-महेशखुंट जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

6	रूपकला देवी पति-जय शंकर ठाकुर ग्राम-खजुरीया पोस्ट-जसौली, थाना-कोटवा जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	मैमुन खातुन पति-मो० मुजाहीद ग्राम+पो०-राधी थाना-जाले जिला दरभंगा	हृदय रोग	₹ 90,000 /-(नब्बे हजार) स्वीकृत।
8	मो० गुलाब पिता-फजलेहक ग्राम-मड़वनखुर्द पोस्ट-मड़वन, थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	सुश्री सोनी कुमारी पिता-गणेश प्रसाद ग्राम-चौहर, पोस्ट- आनन्दपुर थाना-करपी जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	मो० मोफील राइन पिता-स्व. नत्यन मियां ग्राम-पो०-किशनदासपुर थाना-बुधुचक जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 90,000 /-(नब्बे हजार) स्वीकृत।
11	संतोष साह पिता-बेचन साह ग्राम+पो०-गंगटी थाना-पुपरी जिला-सीतामढ़ी	हृदय रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
12	किरणदेव चौधरी पिता-स्व. विष्णुदेव चौधरी ग्राम+पो०-रजौड़ा थाना-मुफसिल जिला बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 35,000 /-(पैंतीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,40,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,40,000 /-( छः लाख चालीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 850111.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(डा0 राजधारी रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक पटना, दिनांक  
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...850144.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक - 832 (14) पटना, दिनांक - 13-7-15  
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
निदेशक प्रमुख  
4-6-15

सं० सं० 14/एम 11-2/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 01.7.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	ललीता देवी पति-विनोद कुमार चन्द्रवंशी ग्राम-रूपसपुर पोस्ट-धनौत सहाय थाना-रूपसपुर जिला-पटना सी.आर नं०-ई० 3436/15	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	आशा देवी पति-विक्रम साह ग्राम+पो०-हटवरीया थाना-पीपरा जिला-सुपौल सी.आर नं०-64189/15	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
3	सुरेश दास पिता-धनेश्वर दास ग्राम-डोरापार चन्दौली पो०-डोरापार थाना-वैनी ओ.पी. जिला-समस्तीपुर सी.आर नं०-66387/15	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

